न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा मुकाम कैम्प कोर्ट गणेशपुरा

न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः— हवाईसिंह यादव R.A.S (प्रशिक्षु)
दावा संख्याः— 39/2014
दायर दिनांकः— 29.05.2014
निर्णय दिनांकः— 9—5—2018

उनवान

बंशी पुत्र बुध्दा जाति माली निवासी पटवार वाली ढाणी खेडली, तहसील दौसा

(वादी)

बनाम

1.लल्लू पुत्र मांग्या जाति माली निवासी पटवार वाली ढाणी खेडली,तहसील दौसा

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

(प्रतिवादी गण)

वाद तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट गणेशपुरा मे पेश हुई। उभयपक्ष कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुए। तहसील दौसा से प्राप्त कुर्रेजात का उभपक्षों को अवलोकन कराया गया। उभयपक्षों ने कुर्रेजात को सही होना स्वीकार करने पर, कुर्रेजात पर उभयपक्षों के हस्ताक्षर कराये गये। उक्त वाद में दिनांक 31.7.2017 में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 6.02.2018 को तस्दीक किया जाकर मुताबिक राजीनामा के प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार दौसा से कुर्रेजात प्राप्त किये गये। तहसीलदार दौसा के पत्रांक भू0अ0/2018/1116 दिनांक 19.02.2018 के द्वारा कुर्रेजात प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार दौसा से प्राप्त कुर्रेजात के अनुसार निम्नानुसार तकासमा किया जाकर अलग अलग खाते एवं लगान कायम करने के तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते है:—

(1) **प्रतिवादी लल्लू पुत्र मांग्या**:— प्रतिवाादी लल्लू पुत्र मांग्या के हिस्से में लाल रंग से दर्शित भूमि खसरा न0 670 रकबा 0.29, 676रकबा 0.46, तथा 675 रकबा 0.63 में से 0.61हे0 कुलकिता 3 कुल रकबा 1.36 है0 भूमि रहेगी तथा खाते का लगान 51.30 रूपये रहेगा।

(2) **वादी बंशी पुत्र बुध्दा जाति माली**:— वादी बंशी के हिस्से में हरे रंग की दर्शित भूमि खसरा न0 638 रकबा 0.65 है0, ख0न0639 रकबा 0.23 है0, ख0न0 679 रकबा 0.26 है0, 680 रकबा 0.19 है0 तथा 675/1 रकबा 0.02 है0 कुलकिता 5 कुल रकबा 1.35 है0 भूमि रहेगी तथा खाते का लगान 17.04 रूपये रहेगा।

9.5.18

सहायक कलक्टर
दौसा

तहसीलदार दौसा को पालना हेतु लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमिल प्रविष्ठ लेख भण्डार हो। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट गणेशपुरा के मजमेआम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

9.5.18

हवाईसिंह यादवR.A.S(प्रशिक्षु)

सहायक कलक्टर

दौसा